

मद 4(1)(बी)-(XII): सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, राष्ट्रीय पोर्टल (<https://pmsuryaghar.gov.in/#/>) के माध्यम से संरचित और पारदर्शी तरीके से सब्सिडी वितरण किया जाता है। उपभोक्ता पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन करते हैं, जहां उनकी पात्रता और आवेदन विवरण को सत्यापित किया जाता है। एक बार स्वीकृत होने के बाद, इंस्टॉलेशन को सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा निष्पादित किया जाता है, जो पोर्टल पर पूर्णता/समापन प्रमाण पत्र और इंस्टॉलेशन डेटा अपलोड करते हैं। इसके बाद संबंधित डिस्कॉम रूफटॉप सोलर सिस्टम का निरीक्षण करता है, इंस्टॉलेशन को मान्य करता है, और नेट-मीटरिंग व्यवस्था की पुष्टि करता है। इस मंजूरी के बाद, सब्सिडी राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि धन बिचौलियों के बिना लाभार्थियों तक पहुंचे। यह प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, निरीक्षण के माध्यम से तकनीकी सत्यापन के लिए डिस्कॉम और निष्पादन के लिए विक्रेताओं को एकीकृत करती है, जिससे बाधाओं को कम किया जा सके और सब्सिडी वितरण में जवाबदेही की गारंटी दी जा सके।

केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 65,700 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो रूफटॉप सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 31 मार्च 2026 तक, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल 68.81 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 33.64 लाख इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं (6.51 लाख घरों को कवर करने वाले आरडब्ल्यूए परिवारों सहित)। कुल स्थापित क्षमता 9.92 गीगावॉट तक पहुंच गई है और 24.75 लाख लाभार्थियों को 19,454.17 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) वितरित की गई है।